न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 426/2019

GCMS NO. : 2019/00188

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. कैलाश पुत्र बालू जाति ढोली, निवासी घोडावड, तहसील जैतारण जिला ब्यावर हाल नया बाजार अजमेर।

बनाम

1. अनिता पत्नी भगवानराम जाति जाट
2. गजरी पत्नी बगदाराम जाति मेघवाल
3. शांति बेवा मोहनीया जाति ढोली निवासीगण घोडावड तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
4. शिवराम पुत्र नैनीया
5. राधा बेवा नैनीया जातियान ढोली निवासीगण बडचियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. भाकरराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी केसरपुरा
7. शंकरलाल पुत्र गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी घोडावड
8. नेमीचंद पुत्र आसूराम जाति मेघवाल निवासी बलाडा
9. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:-10/10/2019

उपस्थित:–

1. श्री देवाराम कटारिया, श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता वादी।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, श्री राजेन्द्र बोहरा, श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँक:– 31/01/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा आई हुई है। जिसमें वादी का 1/3 वां हिस्सा है। माफिक हिस्सेनुसार काबिज है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। वादी की वंश वंशावली अनुसार बालू के तीन वारिसान क्रमशः कैलाश, प्रभु, सत्यनारायण है। वंश वंशावली अनुसार उपरोक्त जमीन वादी के पिता बालू के नाम से थी व बालू की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि वादी व उसके भाई प्रभू व सत्यनारायण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जिसमें ये 1/3 हिस्सा का 1/3 हिस्सा वादी का, 1/3 का 1/3 हिस्सा वादी के भाई प्रभू का तथा 1/3 का 1/3 हिस्सा सत्यनारायण के नाम दर्ज था। वादी ने अपना हिंस्सा बेचान कर दिया तथा पिछे 1/3 हिस्से का 1/3 हिस्सा सत्यनारायण का व 1/3 हिस्सा उसके भाई प्रभू का शेष रहा। सत्यनारायण जो कि नाऔलाद था। उसकी दिनांक 26/03/1987 को मृत्यु हो गयी एवं वादी के भाई प्रभू जो कि नाऔलाद फौत था कि दिनांक 16/06/1994 को मृत्यु हो गयी। सत्यनारायण व प्रभू की कोई वारिसान व औलाद नहीं है उसका एक मात्र वारिस वादी ही है। वादी ने पटवारी घोडावड से फौतेदगी म्युटेशन भरवाने का कहा तो दिनांक 01/10/2019 को म्युटेशन भरने से इन्कार कर दिया जबकि वादी ही मात्र उसका एक मात्र वारिस है एवं उत्तराधिकारी है। इसलिए यह वादपत्र बाबत् खातेदारी घोषणा करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। बिनाय वाद दिनांक 01/10/2019 को मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर फौतदगी म्युटेशन का राजस्व अधिकारीयों द्वारा मना करने पर मौजा घोडावड में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार में है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,6,9 बावजूद सम्मन सूचना/ईतला एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 8 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 7 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 नें इकबालिया जवाब पेश किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने इकबालिया जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व मौजा घोड़ावड, पटवार हल्का घोडावड में खसरा नम्बर 302 रकबा 20-17 बीघा कृषि भूमि में मृतक सत्यनारायण व प्रभु फौत के स्थान पर उनके हिस्से की भूमि पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तो प्रतिवादी संख्या 4,5 को आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार, जैतारण ने बालू के वारिसान के संबंध में तथा बालू के पुत्र प्रभु व सत्यनारायण की वैवाहिक स्थिति, वारिसान के संबंध में पूर्ण जाँच व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद में वर्णित बालु पुत्र मूला के वारिस की मजमा-ए-आम में जाँच करने पर निम्नानुसार वारिस की सूचना पाई गई-कैलाश, सत्यनारायण, प्रभू पि० बालुराम, सायरी पत्नी बालुराम कुल 04 वारिस। बालुराम के पुत्र प्रभु व सत्यनारायण दोनों अविवाहित फौत हो चुके है तथा इनकी पत्नी सायरी भी फौत हो चुकी है। अतः आज दिनांक को कैलाश पुत्र बालुराम एक मात्र जीवित वारिस है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पाटवा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 (प्रदर्श–1) के खसरा नम्बर 302 रकबा 3.3751 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में 'प्रभु पुत्र बालु एवं सत्यनारायण पुत्र बालु' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2073–2076 (प्रदर्श–2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 302 में सत्यनारायण, केलास, प्रभु पि0 बालू कोम ढोली 1/3 हि0 के खातेदार काश्तकार दर्ज थे।
2. वादी कैलाश पुत्र बालू ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि "सत्यनारायण व प्रभू की कोई वारिसान व औलाद नहीं है उसका एक मात्र वारिस मैं वादी ही हुँ।" अन्य गवाह में रूपाराम पुत्र खींयाराम, निवासी घोडावड, तहसील जैतारण ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 में सशपथ कथन किये कि "मैं वादी को व प्रभू व सत्यनारायण को पहचानता था। यह मेरे गांव घोडावडा के निवासी है, जो हाल अजमेर में निवास करते है। उक्त आराजी का एक मात्र उत्तराधिकारी वादी ही है। प्रभू व सत्यनारायण फौत हो चुके है।"
3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–3ए (प्रभु पुत्र बालूराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–4ए (सत्यनारायण पुत्र बालूराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र) एवं प्रदर्श–5ए (कैलाश पुत्र बालुराम का राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड) की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कैलाश, प्रभु व सत्यनारायण तीनों बालूराम के वारिसान है एवं प्रभु दिनांक 16.06.1994 को व सत्यनारायण दिनांक 26.03.1987 को फौत हो चुके है।
4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बालू के वारिसान के संबंध में तथा बालू के पुत्र प्रभु व सत्यनारायण की वैवाहिक स्थिति, वारिसान के संबंध में पूर्ण जाँच व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अनुसार बालु पुत्र मूला के वारिस की मजमा–ए–आम में जाँच करने पर निम्नानुसार वारिस की सूचना पाई गई–कैलाश, सत्यनारायण, प्रभू पि0 बालुराम, सायरी पत्नी बालुराम कुल 04 वारिस। बालुराम के पुत्र प्रभु व सत्यनारायण दोनों अविवाहित फौत हो चुके है तथा इनकी पत्नी सायरी भी फौत हो चुकी है। अतः आज दिनांक को कैलाश पुत्र बालुराम एक मात्र जीवित वारिस है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण की जाँच रिपोर्ट मय मौका फर्द एवं वादी के शपथ–पत्र, प्रतिवादी के इकबालिया जवाब दावा एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 302 रकबा 3.3751 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम घोडावड के भू–अभिलेख

(श्याम सुंदर ...)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

में दर्ज प्रविष्टि **प्रभु पुत्र बालु कौम ढोली एवं सत्यनारायण पुत्र बालु कौम ढोली** के स्थान पर इनके उत्तराधिकारी के रूप में वादी का नाम **कैलाश पुत्र बालु** दर्ज किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'प्रभु पुत्र बालु कौम ढोली एवं सत्यनारायण पुत्र बालु कौम ढोली'** दर्ज है वहाँ उनके उत्तराधिकारी के रूप में **'कैलाश पुत्र बालु'** दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 302 रकबा 3.3751 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ **'प्रभु पुत्र बालु कौम ढोली एवं सत्यनारायण पुत्र बालु कौम ढोली'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उनके उत्तराधिकारी के रूप में वादी के नाम की प्रविष्टि **'कैलाश पुत्र बालु'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

1. कैलाश पुत्र बालू
जाति ढोली, निवासी घोडावड,
तहसील जैतारण जिला ब्यावर हाल
नया बाजार अजमेर।

1. अनिता पत्नी भगवानराम जाति
जाट
2. गजरी पत्नी बगदाराम जाति
मेघवाल
3. शांति बेवा मोहनीया जाति ढोली
निवासीगण घोडावड तहसील
जैतारण जिला ब्यावर।
4. शिवराम पुत्र नैनीया
5. राधा बेवा नैनीया
जातियान ढोली निवासीगण
बडवियावास तहसील पीसांगन
जिला अजमेर।
6. भाकरराम पुत्र कालूराम जाति
नायक निवासी केसरपुरा
7. शंकरलाल पुत्र गुलाबराम जाति
मेघवाल निवासी घोडावड
8. नेमीचंद पुत्र आसूराम जाति
मेघवाल निवासी बलाडा
9. तहसीलदार, जैतारण जिला
ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 426/2019

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-..... ... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, श्री राजेन्द्र बोहरा, श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 302 रकबा 3.3751 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू-अभिलेख** में जहाँ-जहाँ **'प्रभु पुत्र बालु कौम ढोली एवं सत्यनारायण पुत्र बालु कौम ढोली'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उनके उत्तराधिकारी के रूप में वादी के नाम की प्रविष्टि **'कैलाश पुत्र बालु'** को दर्ज करते हुये इस

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	7.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	4.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	10.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	17.00	मिजानः–	7.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।